

प्ररूप-21ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।

उत्तराखण्ड (राज्य/संघ राज्यक्षेत्र) के 30-पिरान कलियर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से विधान सभा के लिए निर्वाचन।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि—

श्री/श्रीमती फुरकान अहमद (नाम) ग्राम रामपुर पोस्ट व तहसील रूड़की जिला हरिद्वार (पता) जो इंडियन नेशनल काँग्रेस (मान्यताप्राप्त/रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किये गए/की गई।

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए/गई हैं।

स्थान— हरिद्वार।

तारीख— 10 मार्च, 2022

हस्ताक्षर.....

रिटर्निंग ऑफिसर
30-पिरान कलियर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र

FORM-21C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

Election to the House of the People from the **30-Piran Kaliyar** Assembly Constituency in **Uttarakhand** (State/Union territory).

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the people Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961. I declare that-

Furkan Ahmad (Name) **Village Rampur Post & Tehsil Roorkee Distt. Haridwar** (Address) [sponsored by **Indian National Congress** (name of the recognised/registered political party)] has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place : Haridwar

Date : 10 March, 2022

Signature.....

Returning Officer

30-पिरान कलियार
30-Piran Kaliyar